FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0310 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/12/2024 16:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/10/2024 **Date To (दिनांक तक):** 24/10/2024

   Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 17:30 बजे **Time To (समय तक):** 11:05 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/12/2024 **Time (समय):** 11:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/12/2024 16:53:18 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 97 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** TAHASIL PARISAR BHEEM, DISTRICT RAJSAMAND

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ABHISHEK JAIN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PARASMAL JAIN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2005 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BHIM, BHIM, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BHIM, BHIM, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHAIRULAL MEENA		पिता:KALYAN MEENA	1. GRAM - V - POST AAMLI,BUNDI,RAJASTHAN,INDI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महादेयजी, वाकियात मामला इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.10.2024 को समय 05.30 पीएम पर परिवादी श्री अभिषेक जैन ने अपने मोबाईल नंबर[redacted] मन हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो राजसमन्द के मोबाईल नंब[redacted]पर कॉल कर बताया कि मेरे पिताजी पारसमल जी जैन के नाम से ग्राम लाखागुडा तहसील भीम जिला राजसमन्द में एक कृषि भूमि है जिसे मेरे पिताजी और मैं उद्योग लगाने हेतु कन्वर्ट कराना चाहते हैं। इसलिये मेरे पिताजी ने उक्त भूमि को कन्वर्ट कराने के लिये एसडीओ कार्यालय भीम में एक आवेदन कर रखा हैं। इस सिलसिले में मैं ग्राम लाखागुडा के पटवारी श्री भेरूलाल जी से मिला तो उन्होनें मूझसे कन्वर्ट की कार्यवाही में मेरे पिताजी के पक्ष में अपनी रिपोर्ट करने की एवज में मुझसे 50000 रूपये रिश्वत की मांग की हैं। लेकिन मैं उक्त भेरूलाल पटवारी को 50000 रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हुं और उसके खिलाफ आपके कार्यालय से कानुनी कार्यवाही कराना चाहता हुं। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त मोबाईल वार्ता अनुसार मामला अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आना पाये जाने पर मामले में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु श्री मंशाराम पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उक्त मोबाईल वार्ता व हालात से अवगत करा परिवादी श्री अभिषेक जैन के मोबाईल नंबर देकर अग्रिम कार्यवाही के क्रम में परिवादी श्री अभिषेक जैन से संपर्क कर उससे एक लिखित रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर श्री मंशाराम पुलिस निरीक्षक द्वारा मामले में अग्रिम कार्यवाही करते हुए कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री अभिषेक जैन के मोबाईल नंबर[redacted]से अवगत करा उक्त नंबर प्रदीप सिंह को नोट करा कर निर्देशानुसार कानि. प्रदीप सिंह के मोबाईल नंबर[redacted]से ही उक्त परिवादी श्री अभिषेक जैन के मोबाईल नंबर पर कॉल कराकर मंशाराम पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त परिवादी श्री अभिषेक जैन से वार्ता कर समस्त हालात से अवगत हुआ तथा दरियाफ्त की तो उसने बताया कि मेरे पिताजी पारसमल जी जैन के नाम से ग्राम लाखागुडा तहसील भीम जिला राजसमन्द में एक कृषि भूमि है जिसे मेरे पिताजी और मैं उद्योग लगाने हेतु कन्वर्ट कराना चाहते हैं। इसलिये मेरे पिताजी ने उक्त भूमि को कन्वर्ट कराने के लिये एसडीओ कार्यालय भीम में एक आवेदन कर रखा हैं। इस सिलसिले में मैं ग्राम लाखागुडा के पटवारी श्री भेरूलाल जी से मिला तो उन्होनें मूझसे कन्वर्ट की कार्यवाही में मेरे पिताजी के पक्ष में अपनी रिपोर्ट करने की एवज में मुझसे 50000 रूपये रिश्वत की मांग की हैं। लेकिन मैं उक्त भेरूलाल पटवारी को 50000 रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हुं और उसके खिलाफ आपके कार्यालय से कानुनी कार्यवाही कराना चाहता हुं। उक्त भेरूलाल पटवारी ने मुझे कल दिनांक 24.10.2024 को सुबह 11.00 बजे के करीब तहसील भीम में बुलाया हैं। उक्त मोबाईल वार्ता के दौरान ही पुलिस निरीक्षक ने कानि. प्रदीप सिंह के बारे में परिचय देकर अग्रिम कार्यवाही हेतु आने के लिये बताया तथा उन्हें ही एक लिखित रिपोर्ट उक्त आशय की प्रदान करने तथा उनके बताये अनुसार ही रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही कराने के लिये निर्देश दिये। इस प्रकार परिवादी श्री अभिषेक जैन से जरिए दूरभाष हुई वार्ता अनुसार व दरियाफत से मामला अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आना पाये जाने से मामले में अग्रिम कार्यवाही के क्रम में पुलिस निरीक्षक ने कानि. प्रदीप सिंह को दिनांक 24.10.2024 को समय 11.00 ए.एम. तक कस्बा भीम पहुंच उक्त परिवादी श्री अभिषेक जैन से संपर्क कर उससे उक्त कार्यवाही कराने से संबंधित लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त करने तथा कार्यालय हाजा के मालखाना से डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर व नया खाली मेमोरी कार्ड प्राप्त कर संदिग्ध श्री भेरूलाल पटवारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिये। तत्पश्चात दिनांक 24.10.2024 को समय 08.35 पीएम पर श्री प्रदीप सिंह कानि. नं. 162 ने पुलिस निरीक्षक के समक्ष कार्यालय कक्ष में उपस्थित हो परिवादी श्री अभिषेक जैन की हस्तलिखित रिपोर्ट व डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मेमोरी कार्ड के प्रस्तुत कर पुलिस निरीक्षक को बताया कि कल दिनांक 23.10.2024 को आप श्रीमान द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मुझ कानि0 द्वारा ब्यूरो कार्यालय के मालखाना से एक डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व नया खाली मेमोरी कार्ड निकालकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में उक्त नया खाली मेमोरी कार्ड लगाकर अग्रिम गोपनीय कार्यवाही हेतु मैं कानि0 आज दिनांक 24.10.2024 को ही समय 07.15 ए. एम. पर कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो राजसमन्द से रवाना होकर समय 10.30 ए.एम. पर कस्बा भीम बस स्टेण्ड पर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री अभिषेक जैन उपस्थित मिला। जहां पर मैंने आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री अभिषेक जैन को कार्यवाही

हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिये कहा तो उसने अपने हस्तलिपि में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नाम लिखा हुआ एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे मैंने बाद अवलोकन सुरक्षित अपने पास रखा। तत्पश्चात समस्त हालात से अवगत होकर मैने परिवादी को उक्त संदिग्ध भैरूलाल पटवारी की लोकेशन जानने हेतु डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर श्री अभिषेक जैन के मोबाईल फोन नं.[redacted]से संदिग्ध श्री भैरूलाल पटवारी के मोबाईल नं[redacted] पर समय 10.39 एएम व समय 10.55 एएम पर कॉल करवाया गया तो संदिग्ध पटवारी ने परिवादी को आने के लिए कहा। उक्त दोनों मोबाईल वार्ता को भी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात मैं कानि0 परिवादी के साथ उसकी निजी मोटरसाइकिल पर बैठ कर तहसील परिसर भीम के पास एक एकान्त जगह पर पहुंचे जहां पर मैंने उसे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने की विधि समझाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को समय 11.05 ए.एम पर चालु कर उसे सुरक्षित सौंप कर संदिग्ध श्री भैरूलाल पटवारी से बातचीत करने के लिये उसे उसकी निजी मोटरसाइकिल से तहसील परिसर भीम में संदिग्ध श्री भैरूलाल पटवारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु रवाना किया तथा मैं उसी स्थान पर रूका रहा। जिसके उपरान्त परिवादी श्री अभिषेक जैन अपनी निजी मोटरसाइकिल से पुनः समय 11.23 ए. एम. पर मेरे पास आया जिस पर मैनें उसके पास मोजुद डिजिटल वॉईस टेप रिकार्डर, जो कि चालु हालत में था, जिसे लेकर बंद कर मेरे पास ही सुरक्षित रखा। उसके बाद परिवादी श्री अभिषेक जैन ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से तहसील परिसर भीम गया जहां पर श्री भैरूलाल पटवारी मिला जिसने मुझसे रिश्वत के बारे में बातचीत की हैं और मुझसे एक कागज पर लिखकर एक बार तो 45 हजार रूपये रिश्वत की मांग की और मेरे द्वारा विनती करने पर उसने फिर वापस कागज पर ही लिखकर बिना बोले मुझसे 40 हजार रूपये रिश्वत की मांग की। उसके बाद मैने उसे अभी रिश्वत राशि नहीं होने के बारे में कहा तो उसने अपने मुंह से मुझसे कहा कि अभी 10 हजार रूपये लुंगा और जमीन के कन्वर्ट होने के प्रोसेस के बाद समर्पण के समय बाकी की रिश्वत राशि लेने के बारे में कहा हैं और कहा कि यदि तुं रिश्वत देता है तो काम नहीं रूकेगा और रिश्वत राशि नहीं देगा तो तेरा काम रूक जायेगा और मुझे वापस मिलने के लिये और फोन करने के लिये इशारा कर मुझे अभी जाने के लिये कहा तो मैं वापस आपके पास आ गया हुं। परिवादी श्री अभिषेक जैन द्वारा बतायी वार्ता और हालात की पुष्टि के लिये मैंने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना तो परिवादी श्री अभिषेक जैन की बताई वार्ता की पुष्टि हुई तथा तत्पश्चात मैं और परिवादी दोनों संदिग्ध पटवारी के फोन के ईन्तजार में वहीं पर मुकिम रहे। परिवादी के मोबाईल पर संदिग्ध पटवारी का फोन नहीं आने पर परिवादी श्री अभिषेक जैन के मोबाईल फोन नं. [redacted]से संदिग्ध श्री भैरूलालु पटवारी के मोबाईल नं.[redacted]पर समय 11.49 एएम व 11.50 एएम पर कॉल करवाया गया परन्तु संदिग्ध श्री भैरूलाल पटवारी ने कॉल अटेण्ड नहीं किया। उक्त दोनों वार्ताओं को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। कुछ समय तक संदिग्ध भैरूलाल पटवारी का परिवादी के फोन पर कोई कॉल नहीं आने पर परिवादी ने मुझे कहा कि भेरूलाल पटवारी मुझे फोन नहीं करेगा, मुझे ही तहसील कार्यालय भीम में जाकर उससे पुनः वार्ता करनी पडेगी। जिस पर मन् कानि0 प्रदीप सिंह ने परिवादी के कहने पर समय 12.03 पी.एम. पर पुनः संदिग्ध आरोपी श्री भैरूलाल पटवारी से वार्ता करने हेतु परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर तहसील कार्यालय भीम की तरफ रवाना किया तथा मैं कानि0 वहीं पर परिवादी के इन्तजार में मुकिम रहा। तत्पश्चात करीब 10 मिनट पश्चात परिवादी मुझ कानि0 के पास आया और डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे मेने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा फिर परिवादी ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर तहसील कार्यालय भीम के बाहर पहुंचा और मैने भैरूलाल जी पटवारी को फोन किया तो वो फिर मेरे पास आये तब मैने उनको उनके द्वारा पूर्व में हुई वार्तानुसार उनके द्वारा मांगे गये रिश्वत राशि प्रथम बार 10000 रूपये मे से अभी 5000 रूपये देने के लिए निवेदन किया तो उन्होने कहा कि मैं ऐसे नहीं लूंगा फिर उन्होंने मेरे को कुछ ईशारे करते हुए कहा कि मैं जब फोन करू तब, और तेरा काम कर रहा हुं। उसके बाद मैने उनको कहा कि आप बोल रहे थे कि दस लेकर आना तो मैं अभी आपको 5000 रूपये दे देता हुं तो उसने नही लिये तो फिर मैने पुनः अब कितने देने हैं के लिए पूछा तो उसने कहा कि बता तो दिया सारा। तथा इसके बाद परिवादी ने यह भी बताया कि यह भैरूलाल पटवारी बहुत चालाक हैं यह अभी भी मुझे फोन करके बुला सकता हैं इसलिए हमे पटवारी के फोन कॉल के इन्तजार में यही पर कुछ समय तक रूकना उचित रहेंगा। इस पर मैं कानि0 परिवादी के साथ उसी स्थान पर मुकिम रहा। तत्पश्चात परिवादी ने समय करीब 06.00 पीएम पर मुझे बताया कि अब भैरूलाल पटवारी फोन नही करेगा क्योंकि वह अब अपने घर जा चुका होगा और अंधेरा होने वाला हैं इसलिए अब वह मुझसे सम्पर्क नहीं करेगा। तत्पश्चात समय 06.15 पी.एम. के करीबन मन् कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 ने आपके पूर्व निर्देशानुसार परिवादी श्री अभिषेक जैन को हिदायत दी कि संदिग्ध श्री भैरूलाल पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10000 रूपये की व्यवस्था करने एवं जब भी संदिग्ध श्री भैरूलाल पटवारी द्वारा उससे रिश्वत के संबंध में संपर्क किया जाता है तो उसकी सूचना वह मुझे अपने मोबाईल फोन से कॉल करके देंवे और मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखे। इसके पश्चात परिवादी अभिषेक जैन को सकुनत हेतु रवाना कर मन् कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 कस्बा भीम से रवाना हो समय 08.35 पी.एम. पर कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो राजसमन्द पर उपस्थित आया और परिवादी श्री अभिषेक जैन का हस्तलिखित प्रार्थना पत्र व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मेमोरी कार्ड सहित आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रकार पुलिस निरीक्षक ने कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 द्वारा प्रस्तुत

परिवादी श्री अभिषेक जैन के हस्तलिखित प्रार्थना पत्र व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मेमोरी कार्ड सहित का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री अभिषेक जैन ने अपने हस्तलिखित प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि मैं प्रार्थी अभिषेक जैन पुत्र श्री पारसमल जी जैन निवासी भीम, पुलिस थाना भीम, जिला राजसमन्द का रहने वाला हुं। मेरे पिताजी के नाम पर गांव लाखागुडा में कृषि भूमि हैं जिस कृषि भूमि पर मेरे पिताजी और मैं, धन्धे के लिए आर.ओ. प्लान्ट लगाना चाहते हैं, जिसके लिए मेरे पिताजी के नाम से इस कृषि भूमि को कॉमरर्शियल कराने के लिए एक आवेदन फाईल एस.डी.ओ. साहब भीम के ऑफिस में लगाई थी जो फाईल अब गांव लाखागुडा के पटवारी साहब भैरूलालजी के पास उनकी रिपोर्ट के लिए आई हैं। इसके लिए मै मेरे पिताजी के कहने पर लाखागुडा के पटवारी साहब भैरूलाल जी से मिला जिन्होने मुझसे इस कन्वर्ट कराने की फाईल पर अपनी रिपोर्ट मेरे पक्ष में करने के लिए मुझसे 50000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की है लेकिन मैं पटवारी साहब भैरूलाल जी को रिश्वत राशि 50000 रूपये नहीं देना चाहता हुं और उनको रिश्वत लेते हुए ए.सी.बी. से रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। मेरी पटवारी साहब से कोई आपसी रंजीश व दुश्मनी नहीं हैं और ना ही कोई आपसी लेनदेन बाकी हैं। मैं मेरे पिताजी की पूर्ण सहमति से यह लिखित रिपोर्ट पेश कर रहा हुं, कृपया कानूनी कार्यवाही करावें। तत्पश्चात बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र को पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा गया तथा उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद होकर रिश्वत राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। तत्पश्चात कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री प्रदीप सिंह कानि0 नम्बर 162 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मेमोरी कार्ड को सुरक्षित हालात में संभलाकर ब्यूरो कार्यालय के मालखाना में रखवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 25.10.2024 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की संभावना होने से दो स्वतंत्र गवाहान हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजसमन्द एवं सरकारी/अनुबंधित वाहन की आवश्यकता होने से विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजसमन्द के नाम तेहरीर जारी की जाकर कानि. हेमराज नं. 306 को रवाना किया गया जिस पर समय 01.00 पीएम कानि. हेमराज नं. 306 दो स्वतंत्र गवाहान श्री भगवती लाल खटीक पुत्र श्री मथुरा लाल जी, जाति खटीक, उम्र 39 साल, निवासी पुराना जिला चिकित्सालय के पिछे, किशोरनगर, मण्डा राजनगर, पुलिस थाना राजनगर जिला राजसमन्द हाल कनिष्ठ सहायक जिला परिषद राजसमन्द व श्री दामोदर प्रसाद मीणा पुत्र स्व. श्री श्योकरण मीणा जाति मीणा उम्र 44 साल, निवासी गिरधारीपुरा पुलिस थाना दुदू हाल हाल कनिष्ठ सहायक जिला परिषद राजसमन्द को हमराह लेकर उपस्थित आया जिनसे परिचय किया जाकर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान को परिवादी श्री अभिषेक जैन द्वारा दिनांक 24.10.2024 को कस्बा भीम में ही कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 को प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगे हुये को मंगवाकर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को अवगत कराकर अब तक की कार्यवाही के समस्त हालात के बारे में बताया गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु सहमति चाही गई, जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी-अपनी सहमति दी। तत्पश्चात डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर जिसमें लगे मेमोरी कार्ड में दिनांक 24.10.2024 को रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु करवाकर उक्त वार्ता दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो हर दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। तत्पश्चात पंचायत समिति राजसमन्द का सरकारी वाहन बोलेरो नं. RJ30UA0709 मय वाहन चालक श्री धीरज हाल अनुबंधित वाहन चालक पंचायत समिति राजसमन्द उपस्थित आया। ब्यूरो कार्यालय के श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं0 117 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी निकालकर श्रीमती तारा म. कानि. नं. 259 को सुरक्षित अवस्था में देने हेतु निर्देशित किया तथा श्रीमती तारा म. कानि. 259 को भी श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं0 117 से उक्त फिनोफ्थेलीन पाउडर की शिशी लेकर सुरक्षित अपने पास ही रखने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात समय 02.00 पीएम पर पुलिस निरीक्षक ने श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं0 117, श्री प्रदीप सिंह कानि. 162, श्री भंवरदान कानि. नं. 414, श्रीमती सीता हैड कानि. नं. 233, श्री जितेन्द्र कानि. 262, श्री हेमराज कानि. 306 मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक संसाधन के पंचायत समिति राजसमन्द के वाहन बोलेरो नं. RJ30UA0709 मय चालक धीरज के कस्बा भीम की तरफ रवाना किया तथा पुलिस निरीक्षक मंशाराम, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री भगवती लाल खटीक कनिष्ठ सहायक एवं श्री दामोदर प्रसाद कनिष्ठ सहायक व श्रीमती तारा नं. 259 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि के तथा मय सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 के व चालक श्री मनोज कानि. नं. 23 के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्र.नि.ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द से रवाना हो समय 03.45 पीएम पर कस्बा भीम में स्थित पाटीया ग्राउंड के पास, आम रोड के किनारे पहुंच कर रूके। जहां पर परिवादी श्री अभिषेक जैन भी अपनी मोटरसाईकिल से उपस्थित आया। तत्पश्चात पुलिस निरीक्षक ने दोनो स्वतंत्र गवाह श्री भगवती लाल खटीक कनिष्ठ सहायक एवं श्री दामोदर प्रसाद कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री अभिषेक जैन का आपस में परिचय करवाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी श्री अभिषेक जैन द्वारा दिनांक 24.10.2024 को कस्बा भीम में कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 को प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र जो पुलिस निरीक्षक ने अपने पास ही सुरक्षित रखा था जिसे पढकर सुनाया व पढ़ाया गया तो परिवादी श्री अभिषेक जैन ने स्वयं द्वारा दिनांक 24.10.2024 को कस्बा भीम में कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 को उक्त हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार करते हुये शब्द-ब-शब्द सही होना बताया

। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से आवश्यक जानकारी व पूछताछ कर परिवादी श्री अभिषेक जैन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 04.00 पीएम पर पुलिस निरीक्षक के द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री पारसमल जैन जाति जैन उम्र 19 वर्ष निवासी भीम पुलिस थाना भीम जिला राजसमन्द को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री अभिषेक जैन ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट राशि 10000 रूपये प्रस्तुत कर बताया की श्री भेरूलाल पटवारी ने मुझे कहा था कि अभी एक बार 10,000 रूपये दे देना उसके बाद जमीन समर्पण की प्रक्रिया के बाद बाकी की रिश्वत राशि ले लुंगा, इसलिये अभी मैं भेरूलाल पटवारी को रिश्वत के रूप में देने के लिये मेरी व्यवस्थानुसार 10,000 रूपये ही लाया हुं। इस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत सभी नोटों के नम्बर फर्द मे अंकित किये जाकर समस्त नोटों पर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगाने हेतु उपस्थित ब्यूरो टीम की सदस्या श्रीमती तारा कानि. 259 को बुलाकर उससे फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी जो कि पूर्व निर्देशानुसार उसके पास ही रखी थी, में से वाहन बोलेरो नं. RJ30UA0709 की बीच की सीट पर अखबार बिछा कर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोट जो परिवादी श्री अभिषेक जैन द्वारा पेश किये गये जिनके दोनो ओर श्रीमती तारा कानि. नं. 259 से उक्त फिनोफ्थेलीन पाउडर निकलवाकर लगवाया गया। परिवादी श्री अभिषेक जैन की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री दामोदर प्रसाद कनिष्ठ सहायक जिला परिषद कार्यालय राजसमन्द से लिवाई जाकर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगे सभी नोटो को परिवादी श्री अभिषेक जैन के शरीर पर पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब मे कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्रीमती तारा कानि. 259 से रखवाये गये। तत्पश्चात् एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में बोलेरो वाहन में रखे पानी के केम्पर से साफ पानी भरवा कर इसमें श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं. 117 से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया और उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री अभिषेक जैन को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्रीमती तारा कानि. 259 के हाथ के अंगुठो व अंगुलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि को मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों के अंगुठो व अंगुलियों पर लग जाएगा और जब आरोपी के हाथों के अंगुठो व अंगुलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जायेगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमती तारा कानि. 259 से वाहन के बाहर रोड के किनारे गंदे पानी की नाली में फिकवा कर अखबार जिस पर नोटो के पाउडर लगवाया गया जिसे तथा डिस्पोजल गिलास जिसमें फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित की गई थी जिसे भी जलवा कर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्रीमती तारा कानि. नं. 259 को अपने पास ही सुरक्षित अवस्था में रखने की हिदायत देकर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमन्द के लिये रवाना किया। इसके पश्चात ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों से परिवादी श्री अभिषेक जैन का परिचय कराकर परिवादी को यह हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवें तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुये। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें तथा रिश्वती राशि देने के बाद पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर या ब्यूरो टीम के सदस्य कानि. प्रदीप सिंह नं. 162 के मोबाईल नंबर पर मिस कॉल या कॉल कर निर्धारित ईशारा करने हेतु निर्देशित कर यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को भी समझाकर स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके उपरान्त ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाकर परिवादी श्री अभिषेक जैन को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि को पुनः समझाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी श्री अभिषेक जैन को बंद अवस्था में सुरक्षित सुपूर्द किया। उक्त कार्यवाही की फर्द अलग से मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री अभिषेक जैन को पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध भैरूलाल पटवारी की लोकेशन जानने हेतु फोन कॉल करने के लिए कहा तो परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से संदिग्ध श्री भैरूलाल पटवारी के मोबाईल नं. [redacted] पर समय 04.40 पीएम पर कॉल किया तो संदिग्ध भैरूलाल पटवारी ने कॉल अटेण्ड नहीं किया। उक्त वार्ता को परिवादी के पास ही रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि हमे यही पर रूककर संदिग्ध भैरूलाल पटवारी के फोन कॉल का इन्तजार करना चाहिए। जिस पर परिवादी के बताये अनुसार पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान के मुकिम रहा। परिवादी श्री अभिषेक जैन ने पुनः पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं कस्बा भीम का ही मुल निवासी हुं और मुझे यहां पर बहुत से लोग जानते है तो मैं यदि आपके साथ आपकी सरकारी गाडी में बेठुंगा तो किसी को शक हो न हो जाये इसलिये मैं अपनी मोटरसाइकिल के पास ही आपकी गाडी से करीब 50 फिट की दुरी पर बैठा हुं और जैसे ही भैरूलाल पटवारी का रिश्वत राशि लेने के लिये मोबाईल फोन कॉल आयेगा तो मैं दौड कर आपके पास आ

जाउंगा और आपको बता दुंगा। इस पर परिवादी श्री अभिषेक जैन को सरकारी वाहन से करीब 50 फिट दुर रखी उसकी मोटरसाइकिल के पास ही पुलिस निरीक्षक व ब्यूरो टीम के नजर में रूके रहने और संदिग्ध भैरूलाल पटवारी के रिश्वत राशि लेने के संबंध में फोन कॉल आने पर तुरन्त सूचित करने के लिये हिदायत की। तत्पश्चात समय करीब 06.10 पीएम पर परिवादी श्री अभिषेक जैन ने पुलिस निरीक्षक के पास आकर बताया कि अभी-अभी कुछ देर पहले मुझे भैरूलाल पटवारी ने अपने मोबाईल फोन से कॉल कर रिश्वत राशि लेकर भीम में ही हाईवे किनारे स्थित डाकबंगला के बाहर बुलाया हैं लेकिन जल्दबाजी में हडबडाहट के कारण में उक्त फोन कॉल को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड नहीं कर सका हुं। जिस पर पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री अभिषेक जैन की बताई बात विश्वसनीय होने से समय 06.12 पी.एम. पर परिवादी श्री अभिषेक जैन को उसे उसकी निजी मोटरसाईकिल से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु करवाकर संदिग्ध श्री भैरूलाल पटवारी को रिश्वत राशि देने के लिये डाक बंगला भीम परिसर के बाहर जाने के लिये रवाना किया। परन्तु परिवादी श्री अभिषेक जैन करीब 02 मिनट पश्चात पुनः पुलिस निरीक्षक के पास आया और डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को बंद करके पुलिस निरीक्षक को कहता है कि मैंने भुलवश आपको भैरूलाल पटवारी द्वारा डाक बंगला भीम परिसर के बाहर बुलाये जाने के लिये बता दिया था जबकि उसने मुझे विजयदीप होटल भीम के बाहर हाईवे के किनारे बुलाया हैं। क्योंकि विजयदीप होटल और डाक बंगला पास-पास ही स्थित हैं। इसकी पुष्टि के लिए पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करवा समय 06.12 पी.एम. पर रिकॉर्डशुदा वार्ता को सुना गया तो उक्त वार्ता में परिवादी के किसी अन्य से फोन कॉल पर हुई असंबंधित वार्ता व पास ही अन्य आवाजें होना पाया गया तथा उक्त वार्ता में परिवादी व आरोपी के मध्य कोई वार्ता नहीं होना पायी गयी तथा परिवादी श्री अभिषेक जैन को पुर्व से ही सुपुर्दशुदा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड के परिवादी को अपने पास ही सुरक्षित रखने की हिदायत कर समय 06.15 पीएम पर परिवादी श्री अभिषेक जैन को पुलिस निरीक्षक ने उसके द्वारा बताये अनुसार स्थान कस्बा भीम में स्थित हाईवे किनारे विजयदीप होटल के सामने जाने हेतु रवाना किया तथा उसके पीछे-पीछे ही ब्यूरो टीम के श्री प्रदीप सिंह नं. 162 व श्री जितेन्द्र कुमार नं. 262, श्री भंवरदान कानि. नं. 414 व श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं. 117 व श्रीमती सीता हैड कानि. नं. 233 मय पंचायत समिति राजसमन्द के वाहन बोलेरो नं. RJ30UA0709 मय चालक धीरज को रवाना कर पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो टीम के सदस्य श्री हेमराज कानि. नं. 306 व स्वतंत्र गवाह श्री भगवतीलाल खटीक व श्री दामोदर प्रसाद व चालक मनोज कुमार कानि. नं. 23 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, मय आवश्यक संसाधन मय ब्यूरो के सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 से रवाना हो कस्बा भीम में हाईवे रोड किनारे स्थित विजयदीप होटल के निकट पहुंच संध्या कालीन समय में हल्के अंधेरे में आड लेकर परिवादी श्री अभिषेक जैन पर नजर रखते हुये उसके निर्धारित इशारे के इंतजार में मुकिम रहे। तत्पश्चात समय करीब 06.22 पीएम पर परिवादी श्री अभिषेक जैन ने सरकारी वाहन स्विफ्ट के पास आकर पुलिस निरीक्षक को अपने पास रखे डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मेमोरी कार्ड को बंद अवस्था में प्रस्तुत कर बताया कि मैं अभी इस विजयदीप होटल के सामने भैरूलाल पटवारी के बुलाये अनुसार उसे रिश्वत राशि देने के लिये आया था लेकिन वह यहां पर रिश्वत राशि लेने के लिये नहीं आया है और जब मैनें उसे मेरे मोबाईल फोन से दो बार कॉल किया तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया और उसके बाद वापस फोन कॉल लगाने पर तीसरी बार उसने मेरी फोन कॉल रिसीव करके मुझे कहीं निकल जाने के बारे में बताकर यहां पर नहीं आने के बारे में बताया है। जो बातचीत मैंने आपको प्रस्तुत किये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। परिवादी श्री अभिषेक जैन द्वारा बतायी वार्ता और हालात की पूष्टि के लिये पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री अभिषेक जैन की बताई वार्ता की पुष्टि हुई। तत्पश्चात डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पुनः परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध भैरूलाल पटवारी के पुनः फोन कॉल के आने के इन्तजार में मुकिम हुए। तत्पश्चात परिवादी श्री अभिषेक जैन ने पुलिस निरीक्षक को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि समय 07.27 पी.एम. पर मुझसे भुलवश दो बार डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू हो गया जिसे मैने पुनः बंद कर दिया हैं लेकिन इस दौरान मेरे मोबाईल फोन पर मेरे किसी मिलने वाला का फोन आया था जिनसे मैने बात की थी जो रिकॉर्ड हुई थी। जिस पर मेरे से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर होल्ड हो जाने की वजह से बंद नहीं हो सका तो ब्यूरो के कानि0 श्री प्रदीप सिंह ने बंद किया हैं और डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मेरे पास ही सुरक्षित रखा हैं। इसके पश्चात समय 07.40 पीएम पर परिवादी श्री अभिषेक जैन ने पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरी माता की तबियत सहीं नहीं होने के कारण मेरे पिताजी अधिकतर हॉस्पीटल ले जाने में और उनकी देखभाल करने में लगे रहते है और मेरे किराणे का व्यापार होने से मुझे दुकान पर बैठना पडता हैं इसलिये मैं अब ज्यादा देर यहां पर रूक नहीं सकता और मुझे लगता हैं कि इस भैरूलाल पटवारी को एसीबी की कार्यवाही की भनक लग गई हैं इसीलिये वह रिश्वत राशि लेना तो चाहता है लेकिन सावधानी बरत रहा हैं और आ नहीं रहा हैं। शायद इसी कारण भैरूलाल पटवारी मुझे बुलाकर खुद रिश्वत राशि लेने के लिये नहीं आ रहा है और गुमराह कर रहा हैं। इस कारण आप आज वापस राजसमन्द चले जाओ। जब भी भैरूलाल पटवारी मुझे रिश्वत राशि के लिये फोन कॉल करके या किसी भी माध्यम से बुलायेगा तब मैं तुरन्त आपको या प्रदीप सिंह जी को सुचित कर दुंगा। इस पर परिवादी श्री अभिषेक जैन को वक्त रात्रि का होने से तथा उसके द्वारा बतायी परिस्थिति के कारण आवश्यक हिदायत कर पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही परिवादी श्री अभिषेक जैन की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखी

10,000 रूपये रिश्वत राशि को ब्यूरो टीम के सदस्य श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 से निकलवाई जाकर उसे एक सफेद कागज के लिफाफे में रख कर उक्त लिफाफा को बंद कर उसे ट्रेप बॉक्स में रखवाया जाकर परिवादी अभिषेक जैन को उसकी निजी मोटरसाइकिल से सकुनत हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 08.10 पीएम पर पुलिस निरीक्षक मंशाराम, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री भगवती लाल खटीक कनिष्ठ सहायक एवं श्री दामोदर प्रसाद कनिष्ठ सहायक व श्रीमती सीता हैड कानि. नं. 233 के मय सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 के व चालक श्री मनोज कानि. नं. 23 के तथा श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं0 117, श्री प्रदीप सिंह कानि. 162, श्री भंवरदान कानि. नं. 414, श्री जितेन्द्र कानि. 262, श्री हेमराज कानि. 306 मय लेपटोप, प्रिन्टर ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक संसाधन के पंचायत समिति राजसमन्द के वाहन बोलेरो नं. RJ30UA0709 मय चालक श्री धीरज के कस्बा भीम से रवाना हो समय 10.30 पीएम पर भ्र.नि.ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द उपस्थित आये तथा मालखाना प्रभारी श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 को 10,000 रूपये रिश्वत राशि जो कि एक सफेद कागज के लिफाफे में रखे जाकर ट्रेप बॉक्स में रखे गये थे, को ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित अवस्था में मालखाना में रखने हेतु संभलाये तथा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री भगवती लाल खटीक कनिष्ठ सहायक एवं श्री दामोदर प्रसाद कनिष्ठ सहायक को मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द द्वारा जरिए दूरभाष/पत्र के तलब किये जाने पर तुरन्त ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द उपस्थित होने की आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा पंचायत समिति राजसमन्द के वाहन बोलेरो नं. RJ30UA0709 के चालक श्री धीरज को मय उक्त वाहन के आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 18.11.24 समय 03.01 पी.एम पर पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री अभिषेक जैन को जरिये मोबाईल कॉल कर वार्ता की जिस पर परिवादी श्री अभिषेक जैन ने बताया कि मेरी बहिन की शादी होने से मैं व्यस्त हुं तथा अभी भैरूलाल पटवारी ने भी मुझसे रिश्वत राशि के लिये संपर्क नहीं किया हैं इसलिये मैं स्वयं आपको सूचना कर दुंगा या आपके कार्यालय में आकर मिल लुंगा। तत्पश्चात दिनांक 26.11.24 को कार्यालय हाजा के कानि0 श्री प्रदीप सिंह नम्बर 162 द्वारा अपने मोबाईल फोन से पुलिस निरीक्षक की वार्ता परिवादी श्री अभिषेक जैन से करवाई तो परिवादी श्री अभिषेक जेन ने पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरी बहन की शादी सम्पन्न हो गई हैं और मैं आगे की कार्यवाही हेतु तैयार हुं। मैने गोपनीय रूप से अपने सूत्रों से पता किया कि कल दिनांक 27.11.2024 को संदिग्ध पटवारी श्री भैरूलाल तहसील कार्यालय भीम में उपस्थित मिल सकता हैं और उससे रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बन्ध में वार्ता हो सकती हैं। इस पर पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने एवं कस्बा भीम में बदनोर रोड पर स्थित श्रीजी स्कूल के पास मिलने की आवश्यक हिदायत दी। तत्पश्चात अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की संभावना होने से दो स्वतंत्र गवाहान हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजसमन्द एवं सरकारी/अनुबंधित वाहन की आवश्यकता होने से विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजसमन्द के नाम पर तेहरीर जारी की जाकर कानि. हेमराज नं. 306 के साथ सम्बन्धित कार्यालय में भिजवाई गई। तत्पश्चात दिनांक 27.11.2024 को समय 08.15 एएम पर पूर्व पाबन्दशुदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री भगवती लाल खटीक हाल कनिष्ठ सहायक जिला परिषद राजसमन्द व श्री दामोदर प्रसाद मीणा हाल कनिष्ठ सहायक जिला परिषद राजसमन्द ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये जिन्हें कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। तत्पश्चात पूर्व पाबन्दशुदा पंचायत समिति राजसमन्द का सरकारी वाहन बोलेरो नं. RJ30UA0709 मय वाहन चालक श्री धीरज हाल अनुबंधित वाहन चालक पंचायत समिति राजसमन्द उपस्थित आया। उक्त वाहन बोलेरो को कार्यालय परिसर में सुरक्षित खडा करवाया गया। तत्पश्चात पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं0 117 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर कार्यालय के मालखाना से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मेमोरी कार्ड के तथा फिनोफ्थलीन पाउडर लगी हुई रिश्वत राशि 10,000 रूपये निकलवाकर सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया जाकर समय 08.30 एएम पर पुलिस निरीक्षक ने श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं0 117, श्री प्रदीप सिंह कानि. 162, श्रीमती सीता हैड कानि. नं. 233, श्री जितेन्द्र कानि. 262 मय लेपटोप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक संसाधन के पंचायत समिति राजसमन्द के वाहन बोलेरो नं. RJ30UA0709 मय चालक श्री धीरज के कस्बा भीम की तरफ रवाना करते हुए पुलिस निरीक्षक मंशाराम, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री भगवती लाल खटीक कनिष्ठ सहायक एवं श्री दामोदर प्रसाद कनिष्ठ सहायक मय ब्यूरो जाब्ता कानि0 श्री किशनाराम नम्बर 404 मय सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 मय चालक श्री मनोज कानि. नं. 23 के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हो समय 10.30 एएम पर कस्बा भीम में बदनोर रोड पर स्थित श्रीजी स्कूल के पास पहुंचे जहां पर परिवादी श्री अभिषेक जैन पूर्व निर्देशानुसार उपस्थित मिला जहां पर परिवादी ने पुलिस निरीक्षक को बताया कि भैरूलाल पटवारी ने मुझसे अभी तक तो सम्पर्क नहीं किया हैं इसलिए वह कहा मिलेगा जो मुझे पता नहीं हैं इसलिए मैं उसे अभी कॉल करू तो उसका पता चल सकता हैं। जिस पर पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही परिवादी को संदिग्ध पटवारी की लोकेशन जानने हेतु परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी भैरूलाल पटवारी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर फोन का लाउडस्पीकर ऑन कर समय 11.03 एएम व समय 11.19 एएम पर कॉल करवाया गया तो संदिग्ध पटवारी का फोन स्विच ऑफ होना पाया गया। उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। संदिग्ध आरोपी श्री भैरूलाल पटवारी का मोबाईल फोन स्विच ऑफ होने से उसकी लोकेशन की

जानकारी नहीं हो पाने व आरोपी श्री भैरूलाल पटवारी के द्वारा भी परिवादी श्री अभिषेक जैन से संपर्क नहीं करने के कारण आरोपी की लोकेशन प्राप्त करना आवश्यक होने से उसकी लोकेशन की जानकारी करने हेतु व अग्रिम कार्यवाही के लिये परिवादी को तहसील कार्यालय भीम में ही भेजना उचित होने से परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को पुनः चालू व बंद करने विधि की समझाईश कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मेमोरी कार्ड को परिवादी को सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात समय 11.20 एएम पर परिवादी को तहसील कार्यालय भीम में आरोपी श्री भैरूलाल पटवारी की लोकेशन जानने हेतु यह हिदायत कर रवाना किया कि डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को तहसील कार्यालय भीम के पास जाकर सुरक्षित तरीके से चालू कर आरोपी की लोकेशन गोपनीय तरीके से लेकर पुनः इसी स्थान पर उपस्थित होवें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। परिवादी को रवाना कर पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के मुकीम रहा। तत्पश्चात समय 11.27 एएम पर परिवादी श्री अभिषेक जैन पुलिस निरीक्षक के पास पुनः उपस्थित आया और अपने पास रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मेमोरी कार्ड के बंद अवस्था में प्रस्तुत किया और बताया कि मैं आपके बताये अनुसार समय 11.20 एएम पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर रवाना हुआ था लेकिन मैनें सोचा कि डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को तहसील के पास ही जाकर चालु करना चाहिये इसलिये मैंने उसे तुरन्त ही कुछ समय में बंद कर दिया था और उसके बाद वापस समय 11.21 एएम पर तहसील भीम के पास जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु किया और तहसील ऑफिस भीम में जाकर भैरूलाल पटवारी का पता किया और ढुंढा लेकिन वह कहीं पर भी नजर नहीं आया तो मैं अब वापस आपके पास आया हुं। इस प्रकार भैरूलाल पटवारी के नहीं मिलने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने से पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री अभिषेक जैन को अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द हमरा साथ आने के लिये निर्देशित करने पर परिवादी श्री अभिषेक जैन ने बताया कि आज मेरी बहिन के साथ मुझे अहमदाबाद जाना है और उसके लिये मेरी ब्यावर से समय 04.00 पीएम पर ट्रेन हैं। इसलिये आज तो मैं आपके साथ कहीं पर नहीं आ सकुंगा और मुझे अभी तुरन्त ही घर जाना होगा नही तो मैं अपनी बहीन को लेकर रेल्वे स्टेशन ब्यावर समय पर नहीं पहुंच सकुंगा और अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के लिये मैं आपके कार्यालय राजसमन्द में दिनांक 29.11.2024 को उपस्थित हो जाउंगा। इस पर पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को दिनांक 29.11.2024 को समय 10.00 एएम पर उपस्थित होने के लिये पाबंद कर रूखसत किया। तत्पश्चात समय 12.15 पीएम पर ब्यूरो जाब्ता के श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं0 117, श्री प्रदीप सिंह कानि. 162, श्रीमती सीता हैड कानि. नं. 233, श्री जितेन्द्र कानि. 262 मय लेपटोप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक संसाधन के पंचायत समिति राजसमन्द के वाहन बोलेरो नं. RJ30UA0709 मय चालक श्री धीरज के तथा पुलिस निरीक्षक मंशाराम, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री भगवती लाल खटीक कनिष्ठ सहायक एवं श्री दामोदर प्रसाद कनिष्ठ सहायक मय ब्यूरो जाब्ता कानि0 श्री किशनाराम नम्बर 404 मय सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 मय चालक श्री मनोज कानि. नं. 23 के कस्बा भीम में बदनोर रोड पर स्थित श्रीजी स्कूल के पास से रवाना हो समय 02.45 पीएम पर भ्र.नि.ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द उपस्थित आये तथा पुलिस निरीक्षक ने मालखाना प्रभारी श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 को 10,000 रूपये रिश्वत राशि जो कि एक सफेद कागज के लिफाफे में रखे जाकर ट्रेप बॉक्स में रखे गये थे, को ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित अवस्था में मालखाना में रखने हेतु संभलाये तथा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री भगवती लाल खटीक कनिष्ठ सहायक एवं श्री दामोदर प्रसाद कनिष्ठ सहायक को मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 29.11.2024 को समय 10.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होने हेतु आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा पंचायत समिति राजसमन्द के वाहन बोलेरो नं. RJ30UA0709 के चालक श्री धीरज को मय उक्त वाहन के आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 29.11.2024 को समय 10.00 एएम पर पूर्व पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री भगवती लाल खटीक हाल कनिष्ठ सहायक जिला परिषद राजसमन्द व श्री दामोदर प्रसाद मीणा हाल कनिष्ठ सहायक जिला परिषद राजसमन्द ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये जिन्हें कार्यालय कक्ष में बिठाया गया तथा तत्समय परिवादी श्री अभिषेक जैन भी पुर्व हिदायत अनुसार ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। जिसे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 10.30 एएम पर पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों ही स्वतंत्र गवाहान के समक्ष हैड कानि0 श्री गोविन्द नारायण नम्बर 117 से ब्यूरो कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मेमोरी कार्ड को निकलवाकर परिवादी श्री अभिषेक जैन एवं आरोपी श्री भैरूलाल पटवारी, पटवार हल्का लाखागुडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द के मध्य दिनांक 24.10.2024 को हुई मोबाईल वार्ताएं/रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता, दिनांक 25.10.2024 को हुई मोबाईल वार्ताए एवं दिनांक 27.11.2024 को रिकॉर्डशुदा वार्ताऐं (कुल 16 वार्ताए) जो कि कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा समस्त वार्ताओं (कुल 16 वार्ताए) को उपरोक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर जिन वार्ताओं में परिवादी श्री अभिषेक जैन व आरोपी श्री भैरूलाल पटवारी की आपस में आमने-सामने रूबरू वार्ता व मोबाईल वार्ता हुई उन वार्ताओं की पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री प्रदीप सिंह कानि0 नम्बर 162 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दौराने उपरोक्त फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में परिवादी श्री अभिषेक जैन ने अपनी

व आरोपी श्री भैरूलाल पटवारी की आवाज की पहचान उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। तत्पश्चात समय 12.30 पीएम पर पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों ही स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अभिषेक जैन एवं आरोपी श्री भैरूलाल पटवारी, पटवार हल्का लाखागुडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द के मध्य दिनांक 24.10.2024 को हुई मोबाईल वार्ताएं/रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता, दिनांक 25.10.2024 को हुई मोबाईल वार्ताए एवं दिनांक 27.11.2024 को रिकॉर्डशुदा वार्ताऐं (कुल 16 वार्ताए) जो कि ब्यूरो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं. 262 से ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा समस्त वार्तालाप (कुल 16 वार्ताएं) को तीन अलग-अलग नये (खाली) पेन ड्राईव Dynamic 16 GB बरंग सिल्वर (16-16 GB) में सेव करवाया जाकर मूल पेन ड्राईव एवं डब पेनड्राईव (आरोपी हेतु) की पृथक-पृथक हेश वेल्यु कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 से ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप में पूर्व से इन्सटॉल्ड ACCESS DATA FTK IMAGER 3.1.2.0 एप्लीकेश्न से निकाली जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। एक पेन ड्राईव मूल एवं एक पेन ड्राईव डब (आरोपी के लिए) तथा एक पेन ड्राईव आई.ओ. के लिए तैयार किया गया। मूल पेन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क- PD अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। जिसकी फर्द जप्ती पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 01.30 पीएम पर पुलिस निरीक्षक ने परिवादी एवं उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अभिषेक जैन एवं आरोपी श्री भैरूलाल पटवारी, पटवार हल्का लाखागुडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द के मध्य दिनांक 24.10.2024 को हुई मोबाईल वार्ताएं/रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता, दिनांक 25.10.2024 को हुई मोबाईल वार्ताए एवं दिनांक 27.11.2024 को रिकॉर्डशुदा वार्ताऐं (कुल 16 वार्ताए) जो कि कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा समस्त वार्ताओं (कुल 16 वार्ताए) की हेश वेल्यु कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 से ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप में पूर्व से इन्सटॉल्ड ACCESS DATA FTK IMAGER 3.1.2.0 एप्लीकेश्न से निकाली जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। उक्त मूल मेमोरी कार्ड जिसे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर से सुरक्षित निकालकर मूल मेमोरी कार्ड बरंग लाल/ग्रे 32 जीबी का जिस पर SanDisk Ultra Micro SD HC 32 GB लिखा हुआ को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में नियमानुसार सीलचिट किया जाकर मार्क-M अंकित किया गया तथा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। जिसकी फर्द जप्ती पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री अभिषेक जैन ने दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पुलिस निरीक्षक को बताया कि अब भैरूलाल पटवारी मुझसे रिश्वत राशि नहीं लेगा। अगर वह मुझसे रिश्वत राशि लेता तो इतने दिन ले लेता। इसीलिये वह मुझसे अब संपर्क भी नहीं कर रहा हैं। मुझे लगता हैं कि भैरू लाल पटवारी को शायद एसीबी की कार्यवाही के बारे में पता चल गया हैं इसीलिये वह मुझसे न तो संपर्क कर रहा हैं और न ही मुझसे मोबाईल फोन से भी संपर्क कर रहा हैं। इसलिये अब भैरूलाल पटवारी मुझसे रिश्वत नहीं लेगा। इसलिये आप अब कार्यवाही यहीं पर रोक दो। मुझे पुरी शंका है कि भैरूलाल पटवारी को एसीबी की कार्यवाही के बारें में पता लग गया हैं। परिवादी श्री अभिषेक जैन द्वारा उक्त बात बताने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने से परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 25.10.2024 को परिवादी द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10,000 रूपये पेश किये गये थे जो एक सफेद लिफाफे में रखे जाकर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया था जिसे ब्यूरो कार्यालय के हैड कानि0 श्री गोविन्द नारायण नम्बर 117 से निकलवाकर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वत राशि 10,000 रूपये परिवादी श्री अभिषेक जेन को लोटाई गई। जिसकी फर्द सिपूदर्गी नोट पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री अभिषेक जैन एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के अब तक की कार्यवाही में प्रयुक्त नमुना सील को नष्ट किया जाकर कार्यालय के बाहर तुडवाकर गंदे पानी के नाले में फिकवाई गई तथा फर्द नष्टीकरण जुदागाना तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तथा रिश्वत राशि जिस सफेद कागज के लिफाफे में रखवाई गई थी उक्त सफेद लिफाफे को भी जलाया गया। तत्पश्चात पुलिस निरीक्षक द्वारा सीलचिट शुदा समस्त मालखाना आर्टीकल्स को मालखाना प्रभारी श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नं0 117 को मालखाना में सुरक्षित रखने हेतु संभलाये गये तथा बाद सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। मामले हाजा में अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री अभिषेक जैन के पिताजी श्री पारसमल जैन के नाम पर गांव लाखागुडा में स्थित कृषि भूमि जिस पर परिवादी व उसके पिताजी द्वारा आर.ओ. प्लान्ट लगाने हेतु परिवादी के पिताजी के नाम से उक्त कृषि भूमि को कॉमर्शियल (कन्वर्ट) कराने के लिए कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भीम में आवेदन प्रस्तुत किया था जिसके क्रम में श्री भैरूलाल पटवारी पटवार हल्का लाखागुडा तहसील भीम जिला राजसमन्द द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.10.2024 के दौरान परिवादी के पिताजी के नाम से कृषि भूमि को कॉमर्शियल (कन्वर्ट) कराने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रावली पर अपनी रिपोर्ट/टिप्पणी परिवादी के पिताजी के पक्ष में करने की एवज में प्रथम किशत के रूप में 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा शेष रिश्वत राशि 40,000 रूपये कृषि भूमि के कन्वर्ट होने की प्रकिया के पश्चात समर्पण के

समय लेने हेतु अपनी सहमति प्रकट करना। परिवादी श्री अभिषेक जैन द्वारा आरोपी श्री भैरूलाल पटवारी से शैष रिश्वत राशि 40,000 रूपये से कम करने के लिए कहने पर आरोपी श्री भैरूलाल पटवारी द्वारा इससे कम में नहीं होने के लिए कहकर परिवादी का काम नहीं रोकने की कहा। तत्पश्चात उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के पश्चात अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दिनांक 25.10.2024 व दिनांक 27.11.2024 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया परन्तु आरोपी श्री भैरूलाल पटवारी पटवार हल्का लाखागुडा तहसील भीम जिला राजसमन्द को उसके विरूद्ध की जा रही कार्यवाही की भनक लग जाने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी। इस प्रकार आरोपी श्री भैरूलाल पटवारी पटवार हल्का मण्डावर अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का लाखागुडा तहसील (भू0अ0) भीम जिला राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री अभिषेक जैन के पिताजी के नाम से कृषि भूमि को कॉमर्शियल (कन्वर्ट) कराने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रावली पर अपनी रिपोर्ट/टिप्पणी परिवादी के पिताजी के पक्ष में करने की एवज में प्रथम किश्त के रूप में 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा शेष रिश्वत राशि 40,000 रूपये कृषि भूमि के कन्वर्ट होने की प्रकिया के पश्चात समर्पण के समय लेने हेतु अपनी सहमति प्रकट करना। परिवादी श्री अभिषेक जैन द्वारा आरोपी श्री भैरूलाल पटवारी से शैष रिश्वत राशि 40,000 रूपये से कम करने के लिए कहने पर आरोपी श्री भैरूलाल पटवारी द्वारा इससे कम में नहीं होने के लिए कहकर परिवादी का काम नहीं रोकने की कहना, आरोपी का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रमाणित हैं। अतः आरोपी श्री भैरूलाल मीणा पुत्र श्री कल्याण मीणा उम्र 32 साल निवासी ग्राम व पोस्ट आमली तहसील व जिला बून्दी (राज0) हाल पटवारी पटवार हल्का मण्डावर अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का लाखागुडा तहसील (भू0अ0) भीम जिला राजसमन्द के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित हैं। भवदीय (हिम्मत चारण) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमन्द...........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हिम्मत चारण,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजसमन्द ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री भैरूलाल मीणा पुत्र श्री कल्याण मीणा उम्र 32 साल निवासी ग्राम व पोस्ट आमली तहसील व जिला बून्दी (राज0) हाल पटवारी पटवार हल्का मण्डावर अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का लाखागुडा तहसील (भू0अ0) भीम जिला राजसमन्द के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 342 पर अंकित है।(कालूराम रावत) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1715-18 दिनांक 27-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,उदयपुर। 2-जिला कलक्टर(भू.अ.), राजसमन्द। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द।उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vikram Singh Rathore **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Kalu Ram Rawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/12/2024 16:5

Name(नाम): KALU RAM RAWAT

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/11/1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)